50

№ 0087521 **Himachal Government Judicial Paper**

बैनामा

मालियती = 2000/- रु० स्टाम्प = 160/- रु० स्टाम्प किता 2 सतह 35 इन्तकाल 350

कीमत नाराजी मु० 1808/- रु० 82 पैसे

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 25 मार्च 1991 को श्री हेत राम पुत्र श्री लेख राम पुत्र श्री चौधरू उमर 40 साल साकिन ताल परगना धाउ उप-तहसील कृष्णगढ़ जिला सोलन हि० प्र० जिसे पहले पक्ष मे विक्रेता कहा गया है। व श्री बंगालू पुत्र श्री तुलसीया साकिन ताल परगना धाउ उप-तहसील कृष्णगढ़ जिला सोलन हि० प्र० जिसे इसके उपरान्त क्रेता कहा गया है।

यह कि विक्रेता ने अपनी भूमि खेवट/खतौनी न० 10/10 किता 17 रकबा 40 विघा 3 बिसवा 15 बिसवांसी का 3/40 हिस्सा रकबा तादादी 3 विघा 0 बिसवा 6 बिसवांसी जिसकी नकल जमाबंदी साल 1989-90 संलग्न है। वाका मौजा खड़ली परगना धाउ उप-तहसील कृष्णगढ़ जिला सोलन के विक्रय करने का सौदा क्रेता के साथ मु० 2000/- रु० (दो हजार रु०) मे कर लिया है। जिसके निस्फ मु० 1000/- रु० होते है। विक्रेता ने पूरी राशि पहले ही वसूल पा ली है। बाकि लेने को कुछ नही रहा है।

यह कि विक्रेता ने अपनी भूमि 3 विघा 0 बिसवा 6 बिसवांसी का सौदा क्रेता से मु० 2000/- रु० मे समस्त स्वामित्व पथ जल वायु प्रकाश सुख भोग अधिकार आवपाशी आवनोशी चरांद आटांद बन-अधिकार तथा अन्य अधिकार जो भी विक्रेता को उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध मे है। या होते है। वह पूर्ण विक्रय रूप मे हमेशा के लिए क्रेता के पक्ष मे हस्तान्तरित कर दिये है। अब क्रेता

Het Ram

शीट ------2-----

उप पंजीकार
कृष्णगढ़

वै नामा मु० 2000/-
अस्टाम मु० 160/-

Sub-Registrar
Krishangarh, District Solan (H.P.)

Het Ram

यह विलेख हेतराम पुत्र/पुत्री लोखराम निवासी पट्टा परगना ...... उप तहसील कृष्णगढ़ ने आज दिनांक 28.3.91 तदानुसार ...... को मेरे कार्यालय में पंजीकरण हेतु पेश किया।

Sub-Registrar
Krishangarh, District Solan (H.P.)

इस विलेख का [illegible] पेशकर्ता को निम्न लिखित [illegible] सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझ कर उस ने इस के निष्पादन को सही स्वीकार किया।

पेशकर्ता ने मु. 2000 रु० पहले ही क्रेता से प्राप्त करने स्वीकार किये/गये कि मु० ...... रु० (.............. रुपये) हमारे समक्ष [illegible] रूप में अदा किये जिसे विक्रेता ने कबूल कर लेना स्वीकार किया।

श्री साधु राम से मैं स्वयं परिचित हूँ जो निष्पादक व दूसरे गवाह की भी पहचान करता है अतः विलेख पंजीकृत होवे।

Sub-Registrar
Krishangarh, District Solan (H.P.)

Sadhu Ram
गवाह नं० 1

Het Ram
पेशकर्ता

श्याम लाल
गवाह नं० 2

51

№ 0087522 1990 **Himachal Government Judicial Paper**

उपरोक्त भूमि का मालिक व कब्जाधारी है। जिसको उपरोक्त भूमि बेचने रहन व हिब्बा आदि करने का पूर्ण अधिकार तथा क्षमता है। क्रेता को मौका पर कब्जा दे दिया गया है। अगर किसी सूरत में बेचशुदा रकबा या किसी त्रुटि से क्रेता के कब्जा तथा अधिकार से निकल जावे। तो ऐसी अवस्था में विक्रेता क्रेता की हानि अपनी सम्पत्ति से पूरा करने का जिम्मेवार होगा। विक्रेता यह भी विश्वास दिलाता है। कि उपरोक्त भूमि हर प्रकार से साफ व पाक है। तथा विक्रेता यह भी लिखा देता है। कि अब उपरोक्त भूमि पर उसके किसी वारिस उत्तराधिकारी का कोई वास्ता नहीं होगा।

यह कि विक्रय विलेख में प्रयोग किये गये शब्द विक्रेता व क्रेता के अतिरिक्त उनके अन्य वारिस उत्तराधिकारी भी सम्मलित समझे जावेंगे। अतः विक्रेता ने अपने तन मन की पूर्ण स्वस्थ अवस्था तथा स्वतन्त्र इच्छा से निम्न हस्ताक्षर करने वाले साक्षियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर कर दिये है। कि प्रमाणित रहे मजमून विक्रय विलेख पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। जिसे सुन व समझ कर सही माना दिनांक 25 मार्च 1991।

विक्रेता —
Het Ram

[signature]

गवाह नं० 1 सरबजू राम प्रधान ग्राम पंचायत
पट्टा डा०- तह० [illegible]

श्याम लाल

गवाह नं० 2. श्याम लाल पु० तुलसी राम
[illegible] ताल डा० तह० [illegible]

[signature]
Madan Lal
Document [illegible]

Rcted 25 3/91
No 141

प्रमाणित किया जाता है कि विलेख सं० ...35...
दिनांक ...25.3.21... रजिस्ट्री हो कर बही सं० ...1.....
के खण्ड सं० ...2..... के पृष्ठ सं० ......6... पर
दर्ज हुआ तथा प्रति अतिरिक्त बही सं० ..1......
के भाग संख्या .....8..... के पेज नं० ....50..
से .....51... तक चस्पा किये गये तथा अन्य
कागजात अनुपूरक बही संख्या के पेज नं० ...3... के पेज
नं० ......60..... तक चस्पा किये गये ।

Sub-Registrar
Krishangarh, District Solan (H.P.)

P. R. S. Form No. 1.

[illegible] जमाबन्दी 1989-1990 मौजा [illegible] [illegible] [illegible] जिला सोलन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	[illegible]	कुल [illegible] भाग रैसू 9 भाग तुलसीराम 49 भाग पुरषोत्तम [illegible] रमालू [illegible] [illegible] 6 भाग हरिदास [illegible] 6 भाग [illegible] 10 भाग तिलकराम [illegible] 10 भाग साधूराम [illegible] सापट्टा 30 भाग	[illegible] मालकान		किता 17 [illegible] 21-7-1 [illegible] 20-7-11 [illegible] 1940	40-3-15 गैरमुमकिन [illegible] 18-16-14		[illegible] एक	[illegible] 14-41 [illegible] 4-53 [illegible] 6-34	[illegible]

Sub-Registrar Krishangarh, District Solan (H.P.)

[illegible] 3 [illegible]

[illegible] 1202 [illegible]

[illegible] पटवारी [illegible] 13-3-91

नक्शा मौसमात पंच वर्षीय गांव रुपाली हदबस्त नं. 498 परगना [illegible] उप-तहसील [illegible] 16 जून 1989 ता 15 जून 1990

क्रमसंख्या	नं. चैक	तारीख [illegible]	[illegible]	मालगुजारी	[illegible]	[illegible]	विवरण
1	93	11-7-89	1-15-12	1-11-8	3-7-0	1500=00	
2	94	11-7-89	1-15-12	1-11-8	3-7-0	2500=00	
3	95	18-8-89	1-15-12	1-11-8	3-7-0	2000=00	
	योग		5-6-16	5-4-4	10-1-0	6000=00	
	प्रति [illegible]		–	0-60	0=06		
	औसत [illegible] प्रति [illegible]		2=60	0=26			
	" " [illegible]		52=00	5=20			
	" " " [illegible]		1040=00	104=0			

[illegible] [illegible] अनुसार [illegible] [illegible] [illegible]

Sub-Registrar
Krishangarh, District Solan (H.P.)

13-3-91

प्रमाण पत्र

कागजात माल अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि बंगालू पुत्र तुलसीया पुत्र [illegible] निवासी गांव ताल परगना [illegible] उप तह० कृष्णगढ़ जिला सोलन हि०प्र० का [illegible] [illegible] है गांव खसरा नं० 9-14 बीघे जमीन है जिसमें 5-3 बीघे रकबा [illegible] काबिज जाता है।

पटवारी
13.3.91

Sub-Registrar
Krishangarh, District Solan H.P.